



2026:AHC:21583

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट याचिका-सी संख्या - 2090 सन् 2026

बचाई उर्फ कदीदीन द्विवेदी याचिकाकर्ता

बनाम

अपर आयुक्त न्यायिक प्रयागराज एवं 2 अन्य..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : सुधीर कुमार

प्रतिवादी के अधिवक्ता : आज़ाद राय, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया,

1. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, विपक्षी पक्ष को सूचित करने और इस याचिका को न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई लाभ नहीं होगा। हालांकि, यदि विपक्षी पक्ष आदेश से असंतुष्ट है, तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उसका अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
3. याचिकाकर्ता द्वारा इस याचिका में मांगी गई मूल राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या 1/अतिरिक्त आयुक्त न्यायिक प्रयागराज, क्षेत्र प्रयागराज को पुनरीक्षण संख्या 00910/2018 (कंप्यूटर वाद संख्या C C201802000000910) (त्रिभुवन नाथ उर्फ बचाई बनाम कदीदीन और अन्य) का शीघ्र निर्णय करने का निर्देश दिया जाए।
4. यह मामला निचली अदालत में लंबे समय से लंबित है और काफी समय बीत चुका है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, यह याचिका निपटाई जाती है और प्रतिवादी संख्या 1/अतिरिक्त आयुक्त, न्यायिक प्रयागराज क्षेत्र, प्रयागराज को निर्देश दिया जाता है कि वे उपरोक्त पुनरीक्षण याचिका का निर्णय निचली अदालत के समक्ष **कानून के अनुसार, शीघ्रता से और अधिमानतः प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर करें**, अनावश्यक स्थगन दिए बिना जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)

30 जनवरी, 2026

सकलैन

Translated version. Not for Legal Use.

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"